न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 4/2017

श्री राजेशकुमार जांगीड़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री आबिद हुसैन पिता अब्दुल रज्जाक मेसर्स आबीद अब्दुल रज्जाक, कृषि मण्डी रोड़ प्रतापगढ़

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 03/02/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने खुले लाल मिर्च पाउडर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.09.16 को 12.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 आविद अब्दुल रज्जाक, कृषि मण्डी रोड़ प्रतापगढ़ पहुंचा अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। इस समय दूकान पर श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक उपस्थित थे जो आमजन को लाल मिर्च पाउडर व मसाले विक्रय कर रहे थे। विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया व पता पुछने पर पर स्थाई निवासी मारूति नगर, प्रतापगढ़ होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर एक प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 15 कि0ग्रा0 लाल मिर्च पाउडर लूज रखा पाया गया । उक्त

पाउडर को आमजन को विक्रय करने हेतु बताया निरीक्षण के दौरान लाल मिर्च पाउडर मे मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर लाल मिर्च पाउडर का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में प्लास्टिक के कट्टे में विक्रय हेतु रखे 15 किलो लाल मिर्च पाउडर लूज को अच्छी तरह से हीला मिला कर एक रूप कर 2 कि0ग्रा0 लाल मिर्च पाउडर लूज एक साफ सुखे एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा । जिसकी कीमत विक्रेता को 320 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

उक्त खरीद शुदा लाल मिर्च पाउडर को 4 खाली प्लास्टिक के सुखे जार में बराबर–बराबर डालने के पश्चात एयर टाईट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–773 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई–773 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–773 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 15.09.16 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 15.09.16 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । को शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 15.09.16 को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर लूज का नमूना The sample contravention section 26(2) (v) of food safety & standard act 2006 पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया ।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री आबिद हुसैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि कानून का ध्यान नही होने से लाल मिर्च में का विक्रय किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त एक छोटा दूकानदार है उसकी रोजी रोटी इसी पर आधारित है। अतः भविष्य में खुले मसाले नही बेचने का आश्वासान लिखित में दिया। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना कर प्रकरण की कार्यवाही निरस्त कराने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 513/एक्ट/2016/533 दिनांक 13.10.16 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लाल मिर्च पाउडर लूज का नमूना जांच रिपोर्ट में The sample is violate section 26(2) (v) of food safety & standard act 2006 होना पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति 3000/रू अक्षरे तीन हजार रू अप्रार्थी अभियुक्त श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक मेसर्स आबिद अब्दुल रज्जाक, कृषि मण्डी रोड़ प्रतापगढ़ पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय

निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 / नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **03.02.2017** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(अनुराग भार्गव)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2016 / 19-21 दिनांक 03.02.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक मेसर्स आबिद अब्दुल रज्जाक, कृषि मण्डी रोड़ प्रतापगढ़

(अनुराग भार्गव)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते